न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 448–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 712/अपील/11–12.

अजब सिंह आत्मज स्व. श्री दिलीप सिंह रघुवंशी
निवासी एवं कृषक ग्राम मढ़िया
तहसील सिलवानी जिला रायसेन

.....आवेदक

विरूद्ध

1– रामकुमार आत्मज सरदार सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम सिंगपुर
तहसील सिलवानी जिला रायसेन

2– म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष
जिलाध्यक्ष कार्यालय विदिशा रोड, रायसेन

.....अनावेदकगण

श्री प्रदीप रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.के. जैन, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/12/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 रामकुमार द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा बम्होरी तहसील सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिंगपुर तहसील सिलवानी स्थित भूमि सर्वे कमांक 5 रकबा 10.16 एकड़ एवं सर्वे कमांक 201/4 रकबा 0.74 एकड़ कुल रकबा 10.90 एकड़ जिज्जोबाई विधवा ज्ञानसिंह रघुवंशी के नाम

राजस्व अभिलेखों में अंकित है । उक्त भूमि का वसीयतनामे दिनांक 29–9–2000 एवं दिनांक 1–1–2008 को क्रमशः ग्यारसी व जिज्जोबाई द्वारा अपने जीवनकाल में उसके पक्ष में निष्पादित किये गये हैं । जिज्जोबाई की मृत्यु हो चुकी है, और उनके पति ग्यारसी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है, अतः वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–5–2008 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 रामकुमार का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–9–2008 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को समुचित सुनवाई का अवसर दिंया जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये । तद्नुसार नायब तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में दिनांक 9–4–2009 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक अजब सिंह का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 रामकुमार द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनावेदक क्रमांक 1 रामकुमार का नामांतरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–2008 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–9–2008 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है । अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे गुण–दोष पर निराकरण के पूर्व ही नस्तीबद्ध

करा लिया गया है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–9–2008 अंतिम रहा । इसके बाद समकक्ष पीठासीन अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 1/अपील/अ–6/2009–10 में अपने ही समकक्ष न्यायालय के आदेश को पलटते हुए पुनः अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल वसीयतनामा जो कि व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 29 ए/10 में संलग्न था, को सिद्ध किये बिना फोटोकॉपी को साक्ष्य में ग्रहण कर मनमाना आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार अपीलीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया, तब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त हो जाती है । प्रकरण में वसीयत के संबंध में ली गई साक्ष्य भी खण्डित हो जाती है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को साक्षियों को पुनः बुलाकर मूल वसीयतनामा साक्ष्य से प्रमाणित करना था । उक्त कार्यवाही नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) ग्यारसी लाल द्वारा निष्पादित वसीयत में सर्वे नं. 10/5 का उल्लेख है, जबकि सर्वे नं. 10/5 अंकित ही नहीं है, बल्कि सर्वे नम्बर 5 अंकित है ।

(5) अनावेदक कमांक 1 द्वारा स्टाम्प सिलवानी से खरीदा गया है, और वसीयतनामा बरेली में करवाया गया है । वसीयत पर रमाकांत रघुवंशी एवं घनश्याम के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर हैं । वसीयत पर ग्राम पंचायत सिंगपुर के सरपंच के हस्ताक्षर एवं सील है, और सरपंच ग्राम सिमरिया का निवासी है । स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कूटरचित फर्जी वसीयतनामा बनाई गई है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में अनावेदक कमांक 1 उपस्थित नहीं हुआ है, और उसने सूचना पत्र लेने से इंकार कर दिया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा को सिद्ध नहीं पाते हुए आवेदक के पक्ष में नामांतरण करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(7) अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 31–ए/09 प्रस्तुत किया गया था, जो कि सिलवानी में स्थाई न्यायालय होने से प्रकरण अंतरित किया गया और व्यवहार वाद कमांक 29 ए/2010 पर दर्ज हुआ, जिसमें अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व घोषणा चाही गई थी । उक्त व्यवहार वाद को अनावेदक कमांक 1 द्वारा अदम पैरवी में निरस्त करा लिया गया है, क्योंकि उसे डर था कि वसीयतनामा फर्जी एवं कूटरचित सिद्ध न हो जाये ।

(8) अनावेदक कमांक 1 द्वारा जिज्जोबाई की मृत्यु होने के आठ दिन के भीतर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जिज्जोबाई की तेरहवी उसके द्वारा की गई है, जबकि हिन्दु धर्म के अनुसार तेरह दिन पश्चात तेरहवी होती है इससे स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कूटरचित एवं फर्जी कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1990 आर.एन. 28, 1992 आर.एन. 398, 1994 आर.एन. 385, 1985 आर.एन. 432 एवं 2002 आर.एन. 334 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक अजब सिंह के तहसील न्यायालय में कथन हुए हैं, और उसके द्वारा वसीयतकर्ता स्व. जिज्जोबाई को अपनी सगी बुआ बताया गया है, परन्तु साक्ष्यों से यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि वास्तव में स्व. जिज्जोबाई आवेदक की बुआ है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत साक्ष्य अंकित की गई है, जिसमें अनावेदक कमांक 1 द्वारा बतलाया गया है कि वह लगभग 15–20 वर्षों से स्व. ग्यारसी लाल एवं जिज्जोबाई के साथ रहता था, और वह उसे पुत्र के समान मानती थी तथा ग्यारसी लाल द्वारा अपने जीवनकाल में वर्ष 2000 में तथा उसकी पत्नी जिज्जोबाई ने दिनांक 1–1–2008 को अपनी इच्छा से वसीयतनामा निष्पादित किये गये हैं, और ग्यारसी लाल व जिज्जोबाई की मृत्यु उपरान्त किया–कर्म एवं तेरहवी अनावेदक कमांक 1 द्वारा की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष वसीयतनामा के साक्षी हाकमसिंह, रमाकांत, घनश्याम एवं सुरेश के कथन अंकित किये गये हैं, जिनसे वसीयतनामा प्रमाणित हुआ है ।

(4) साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 एवं 68 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह मत दिया गया है कि किसी ने भी वृद्ध माता–पिता की सेवा नहीं की, उसे सम्पत्ति में हक प्राप्त नहीं होगा, उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के वसीयतग्रहीता को हक होगा, जिसने उसकी सेवा खुशामद की है ।

(5) आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 20–ए/2012 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा अस्थायी निशेधाज्ञा चाही गई थी, जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, और प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का आधिपत्य माना गया है ।

(6) चूंकि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, अतः इस न्यायालय में कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं है ।

(7) निगरानी में केवल विधि के प्रश्नों पर विचार किया जाता है, और आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में क्या अवैधानिकता हुई है, यह नहीं बतलाया गया है ।

(8) वसीयतकर्ता अनपढ़ व्यक्ति है, इसलिए वे सरपंच, कोटवार एवं अन्य व्यक्तियों को तहसील न्यायालय में ले गये, और वहां पर वसीयत टाईप कराया गया है ।

(9) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15, 16 एवं 17 के तहत निःसंतान महिला वसीयतनामा निष्पादित कर सकती है, और उक्त वसीयत पर किसी निजी व्यक्ति को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2012 MANISA(2) 27 (सु.को.), 2010 आर.एन. 250, 1991 आर. एन. 163, 2000 एम.पी.डब्ल्यू.एन. (2)79, 2006 आर.एन. 159 एवं 2012 आर.एन. 316 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 अनुपस्थित ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा जिज्जोबाई द्वारा निष्पादित मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है, और न ही उसे साक्ष्यों से प्रमाणित किया गया है, क्योंकि वसीयतनामा के एक ग्वाह द्वारा तारीख के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त आवेदक मृतक भूमिस्वामी वसीयतकर्ता का भतीजा है, और वसीयतकर्ता

जिज्जोबाई उसकी बुआ है, इसके प्रतिपरीक्षण का अवसर अनावेदक कमांक 1 को नहीं दिया गया है, और न ही इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच कराई गई है कि वास्तव में आवेदक मृतक भूमिस्वामी जिज्जोबाई का भतीजा है अथवा नहीं । यहां यह भी विचारणीय है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पति से प्राप्त सम्पत्ति पति के वारिसों को प्राप्त होगी न कि पत्नी के वारिसों को, इस संबंध में भी नायब तहसीलदार द्वारा मृतक ग्यारसी के वारिसों के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई है । स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेशों का प्रश्न है, उनके द्वारा भी उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किये गये हैं, इसलिए उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मृतक ग्यारसी के वारिसों की जानकारी प्राप्त कर विधिवत आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर